रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042021-226733 CG-DL-E-23042021-226733

### असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2021/वैशाख 3, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2021/VAISAKHA 3, 1943

No. 1559]

# रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

# (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

#### आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

का.आ. 1677(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्टो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एनिलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

यह आदेश 3 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगा।" "(2)

[फा. सं. सी. II-13012/09/2018-रसा.II]

समीर कुमार बिश्वास, अपर सचिव

नोट : मुख्य आदेश को 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2792(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात इसे दिनांक 15 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 203(अ) और दिनांक 1 जुलाई, 2020 के का.आ. 2180(अ) और दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के का.आ. 3796(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

2366 GI/2021 (1)

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

### (Department of Chemicals and Petrochemicals)

#### **ORDER**

New Delhi, the 19th April, 2021

**S.O. 1677(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 3rd February, 2022."

[F. No. C.II-13012/09/2018-Chem.II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secv.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2792(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification number S.O. 203(E) dated the 15th January, 2020, S.O. 2180(E) dated 1st July, 2020 and S.O. 3796 (E) dated 22nd October 2020.